राजस्थान–सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांकः एफ 7.(21)पपा/2001/ 600 जयपुर, दिनांकः 24-12-13

संशोधित–आदेश

राज्य सरकार के निर्णयानुसार शासन उप सचिव, पशुपालन विभाग के आदेश क्रमांक एफ7(21)पपा /2001 दिनांक 07.05.2005 में जारी आदेश में नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं की सीमाओं में आने वाले 'ख' व 'ग' श्रेणी के जलाशयों का संचालन/मत्स्य ठेका मत्स्य विभाग स्तर पर किये जाने बाबत जारी किये गये थे जिसमें 'घ' श्रेणी के जलाशय शामिल नहीं किये गये थे।

अतः विभाग के प्रस्तावानुसार पूर्व में जारी आदेश दिनांक 07.05.2005 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य सरकार के पूर्व में लिये गये निर्णयानुसार राज्य के समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका क्षेत्र में आने वाले सभी श्रेणी ('घ' श्रेणी सहित) के जलाशयों का संचालन/मत्स्य ठेका मत्स्य विभाग द्वारा दिया जाएगा। यदि किसी भी श्रेणी के जलाशयों का ठेका नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद द्वारा दिया गया है तो तुरन्त मत्स्य विभाग को मय ठेके की राशि व मूल पत्रावली सहित लोटाये।

(एन.एल.गुप्ता)
शासन उप सचिव
पशुपालन विभाग
राज0 जयपुर

क्रमांकः एफ 7.(21)पपा/2001/ 601–901 दिनांकः 24-12-13

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राज0 जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत शासन एवं नगरीय विकास विभाग, राज0 जयपुर।
3. निदेशक, मत्स्य विभाग, राज0 जयपुर।
4. समस्त जिला प्रमुख.....।
5. समस्त जिला कलेक्टर.....।
6. समस्त आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका ..... को प्रेषित कर लेख है कि नगर निगम/नगर परिषद/ नगर पालिका क्षेत्र में आने वाले सभी श्रेणी के जलाशयों को मत्स्य विभाग में हस्तान्तरित कराने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
7. लेखाधिकारी, मत्स्य विभाग, राज0 जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगर निगम/परिषद/पालिका क्षेत्र में आने वाले जलाशयों को अधिग्रहण करते हुए ठेका कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
8. उप निदेशक मत्स्य, उदयपुर/समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/समस्त मत्स्य विकास अधिकारी/समस्त मत्स्य परियोजना अधिकारी को भेजकर लेख है कि आपके जिले में उक्त जलाशयों को अधिग्रहण करते हुए जलाशयों की आरक्षित राशि निर्धारित कराकर ठेका कराने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

शासन उप सचिव
पशुपालन विभाग
राज0 जयपुर